न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 47 / 2024

प्रार्थी — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी

1. अणदाराम पुत्र भेराराम
2. छगनाराम पुत्र भेराराम

जातियान सुथार निवासी सड़ा

धनजी तहसील सिणधरी

जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. बीजला पुत्र अजीमा, जाति–मोयला
2. अमेदाराम पुत्र हरकनराम
3. किस्तुराराम पुत्र हरकनराम
4. मुलाराम पुत्र हरकनराम,
5. पुराराम पुत्र ताजाराम, जाति–जाट
6. उदा पुत्र हरजी
7. जबरा पुत्र हरजी
8. बाबू पुत्र हरजी
9. खीमा पुत्र मोबता
10. तारा पुत्र मोबता
11. बुधा पुत्र मोबता
12. अचलाराम पुत्र अमराराम
13. माधोसिंह पुत्र अमराराम
14. मनोहरसिंह पुत्र अमराराम
15. सुर्या पुरोहित पुत्र अमराराम
16. मोहनलाल पुत्र मानीगाराम
17. वगताराम पुत्र मानीगाराम
18. भेराराम पुत्र मानीगाराम
19. कैलाश पुत्र भोमाराम
20. प्रभूराम पुत्र भोमाराम
21. अर्जुनसिंह पुत्र भोमाराम,

जातियान–राजपुरोहित, निवासी–सड़ा

तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 20.06.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खेत मौजा खसरा संख्या 761/567, 762/567 रकबा 0.0660, 3.6473 हैक्टेयर मौजा राजस्व ग्राम सड़ा धनजी पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा खसरा संख्या 761/567, 762/567 रकबा 0.0660, 3.6473 हैक्टेयर मौजा राजस्व ग्रमा सड़ा धनजी पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा खसरा संख्या 761/567, 762/567 रकबा 0.0660, 3.6473 हैक्टेयर मौजा राजस्व ग्रमा सड़ा धनजी पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा खेत खसरा संख्या 761/567, 762/567 रकबा 0.0660, 3.6473 हैक्टेयर मौजा राजस्व ग्रमा सड़ा धनजी पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा खेत खसरा संख्या 761/567, 762/567 रकबा 0.0660, 3.6473 हैक्टेयर मौजा राजस्व ग्राम सड़ा धनजी पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खेत खसरा संख्या 761/567, 762/567 रकबा 0.0660, 3.6473 हैक्टेयर मौजा राजस्व ग्रमा सड़ा धनजी पटवार हल्का सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी